# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 173/2017

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| ओमप्रकाश आसिया पुत्र जोरावरदान जाति चारण निवासी ग्राम नोखडा चारणान, तहसील बाप जिला जोधपुर | | 1–सांगीलाल पुत्र फौजाराम जाति महाजन निवासी नगसिहपुरा (उंटवालिया) तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर<br>2–श्रीमती मोडीदेवी उर्फ मोडीबाई पत्नी सिरेमल<br>3–रावलचंद उर्फ रावलराम पुत्र सिरेमल<br>4–जंवरीलाल उर्फ जवाहर लोढा पुत्र सिरेमल<br>5–धनराज पुत्र सिरेमल<br>6–प्रकाश पुत्र सिरेमल जाति महाजन निवासी नगसिहपुरा (उंटवालिया) तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर<br>7–देवीचंद पुत्र सुगनमल जाति महाजन निवासी नगसिहपुरा (उंटवालिया) तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर (रेस्पो. 2 से 7 नाम विलोपित जरिये आदेश दिनांक 2–3–2020)<br>8–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर |

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–6–2016 जो अपील संख्या 6/2015 मे अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर द्वारा केम्प कोर्ट बालेसर मे पारित किया गया ।**

उपस्थितिः–

1– श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री हरीश जांगिड, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 8 की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक 28–07–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नरसिहपुरा पटवार मण्डल उठवासियां तह0 शेरगढ के खसरा नंबर 457 रकबा 130.10 बीघा भूमि रेस्पो0 संख्या 1 से 7 के पूर्वजो के समय से संयुक्त खातेदारी मे चली आ रही थी । उक्त भूमि के संबंध मे एक दावा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ ने उक्त अपीलाधीन भूमि के संबंध मे राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिनांक 20–4–2011 को पारित किया । तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी शेरगढ न्यायालय ने दिनांक 23–12–2014 को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया । उक्त आदेश की अपील वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसके अपील संख्या 110/2014

अति. सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

मे दिनांक 24—12—2014 को वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे स्थगन आदेश पारित किया गया था । दिनांक 23—12—2014 को अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पारित स्थगन आदेश खारीज होते ही अपीलाधीन भूमि के 1/3 हिस्से के खातेदारान वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 2 से 6 ने उक्त भूमि का रजिस्टर्ड बेचान वर्तमान अपीलांट ओमप्रकाश आसिया को करते हुए बेचान नामा उप पंजीयक कार्यालय शेरगढ से पंजीबद्ध करवा लिया तथा उक्त बेचान के आधार पर दिनांक 24—12—2014 को वर्तमान अपीलांट के पक्ष मे नामांतरकरण संख्या 314 तहसीलदार भू.अ.शेरगढ द्वारा स्वीकृत कर दिया ।

उक्त नामांतरकरण संख्या 314 के विरूद्ध वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 सांगीलाल ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर के न्यायालय मे प्रथम अपील यह कथन करते हुए प्रस्तुत की कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 23—12—2014 को खारीज होने के पश्चात अपीलांट ने तहसीलदार शेरगढ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत कर रहा है इसलिए उक्त भूमि के संबंध मे बेचान हस्तांतरण का कोई दस्तावेज पंजीबद्ध नही किया जावे फिर भी वर्तमान रेस्पो0गण संख्या 2 से 6 द्वारा अपीलांट के पक्ष मे बेचान का दस्तावेज उप पंजीयक शेरगढ के न्यायालय मे दिनांक 23—12—2014 को ही पंजीबद्ध करवा लिया तथा राजस्व अपील न्यायालय जोधपुर से दिनांक 24—12—2014 को स्थगन होने के बावजुद तथा रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजुद अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 314 तहसीलदार भू.अ.शेरगढ द्वारा बेचान के आधार पर स्वीकृत कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने से उक्त म्युटेशन को निरस्त करने बाबत निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15—6—2016 के द्वारा ग्राम नरसिहपुरा के नामांतरकरण संख्या 314 स्वीकृति दिनांक 24—12—2014 को निरस्त कर दिया तथा अपीलाधीन निर्णय मे पक्षकारान के बीच न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ मे विचाराधीन दावे के निर्णय होने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश पारित कर दिये । अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15—6—2016 के विरूद्ध वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से केम्प कोर्ट मे पत्रावली ले जाकर अपीलांट को सुने बिना ही निर्णय पारित कर दिया जबकि न्यायालय मे लंबित अपील मे नियमित रूप से पेशियों पर पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित होकर पैरवी कर रहे थे, तो पत्रावली को केम्प कोर्ट मे ले जाकर निर्णय करना विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 314 जो कि

अपीलांट के पक्ष मे किये जाने पर उक्त म्युटेशन रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर अपीलांट के पक्ष मे स्वीकृत किया गया था जिसे निरस्त करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नही था क्योकि अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित रजिस्टर्ड बेचाननामे को जब तक सिविल न्यायालय से निरस्त नही करवा दिया जाता है तब तक रंजिस्टर्ड बेचान के आधार पर म्युटेशन को निरस्त नही किया जा सकता था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना मे यदि म्युटेशन निरस्त भी कर दिया तो विक्रयसुदा भूमि पुनः विक्रेता के के नाम दर्ज हो जायेगी इससे अपीलांट को किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नही हो सकता है इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि के संबंध मे विक्रय विलेख निष्पादित करते समय एवं उक्त विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरकरण दर्ज एवं स्वीकृत करते समय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किसी कोर्ट का स्थगन आदेश प्राप्त नही हुआ था तथा यह कथन किया कि राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर से पारित स्थगन आदेश दिनांक 24–12–2014 की प्रति तहसीलदार शेरगढ के समक्ष दिनांक 25–12–2014 को प्रस्तुत की गई, जिसकी प्राप्ति रेकर्ड पर है । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त म्युटेशन संख्या 314 को विधिक रूप से पारित किया हुआ नही मानते हुए निरस्त करने का तथा अपीलाधीन आदेश मे अधीनस्थ न्यायालय का यह विवेचन कि एक ही दिन मे पटवारी हल्का उटवालियां, भू अभिलेख निरीक्षक शेतरावा तथा तहसीलदार शेरगढ द्वारा समस्त कार्यवाही एक ही दिन मे सम्पन्न करना संदेहास्प्रद मानते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान वर्तमान अपील पत्रावली मे उपलब्ध उपस्थिति पंजिका दिनांक 24–12–2014 जिसमे पटवारी उटवालिया, गिरदावर सेतरावा के उपस्थिति पंजिका दिनांक 24–12–2014 मे हस्ताक्षर है तथा तहसीलदार तो कार्यालय मे उपलब्ध ही थे तो ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय का यह विवेचन कि तीनो एक ही जगह इकठे कैसे हुए, तथा सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन मे सम्पन्न करना संदेहास्प्रद होने का जो विवेचन दिया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य हे ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट अपनी क्रयसुदा भूमि पर आज दिन तक बहैसियत खातेदार के काबिज है तथा अपीलांट का उक्त भूमि पर नलकूप खुदा हुआ है जिससे अपीलांट अपने खातेदारी की भूमि की सिंचाई कर रहा है तथा कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पर रेस्पो0 संख्या 1 का कभी कोई कब्जा नही है और न ही रेस्पो0 संख्या 1 का उक्त भूमि मे कोई अधिकार ही है, रेस्पो0 संख्या 1 ने मात्र अपीलांट को हैरान व परेशान करने के लिए वाद एवं नामांतरकरण की अपील की है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–6–2016 को निरस्त कर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 314 को यथावत रखने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ ... दिनांक 25–5–2016 को केम्प की पेशी का नोटिस मिला जिस पर वह

बालोसर गया, उस समय वहां पर बहुत भीड थी और आगामी पेशी दिनांक 16–6–2016 की बताते हुए खाली आज्ञा सूची पर अपीलांट के हस्ताक्षर करवा लिये परंतु निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 16–6–2016 से पूर्व ही दिनांक 15–6–2016 को अपीलांट को अथवा अधिवक्ता को सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो न्याय के प्राकतिक सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया हुआ होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–6–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलांट ओमप्रकाश स्वयं ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के पद पर होने से उसने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए बेचान के आधार पर म्युटेशन पटवारी, आर.आई एवं तहसीलदार से सांठगांठ कर पारित करवा लिया । वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय शेरगढ मे धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत किया था उक्त दावे के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी शेरगढ ने दिनांक 20–4–2011 को उक्त अपीलाधीन भूमि के संबंध मे राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किया । तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी शेरगढ न्यायालय ने दिनांक 23–12–2014 को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया । उक्त आदेश की अपील वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसके अपील संख्या 110/2014 मे दिनांक 24–12–2014 को वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे स्थगन आदेश पारित किया गया था । दिनांक 23–12–2014 को अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पारित स्थगन आदेश खारीज होते ही अपीलाधीन भूमि के 1/3 हिस्से के खातेदारान वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 2 से 6 ने उक्त भूमि का रजिस्टर्ड बेचान वर्तमान अपीलांट ओमप्रकाश आसिया को करते हुए बेचान नामा उप पंजीयक कार्यालय शेरगढ से पंजीबद्ध करवा लिया तथा उक्त बेचान के आधार पर दिनांक 24–12–2014 को वर्तमान अपीलांट के पक्ष मे नामांतरकरण संख्या 314 तहसीलदार भू.अ.शेरगढ द्वारा स्वीकृत कर दिया ।

वकील, रेस्पो0 ने अपनी बहस मे कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 23–12–2014 को खारीज होने के पश्चात वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से तहसीलदार शेरगढ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत कर रहा है इसलिए उक्त भूमि के संबंध मे बेचान हस्तांतरण का कोई दस्तावेज पंजीबद्ध नही किया जावे फिर भी वर्तमान रेस्पो0गण संख्या 2 से 6 द्वारा अपीलांट के पक्ष मे बेचान का दस्तावेज उप पंजीयक शेरगढ के न्यायालय मे दिनांक 23–12–2014 को ही पंजीबद्ध करवा लिया तथा राजस्व अपील न्यायालय ... तथा रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा

लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजुद अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 314 तहसीलदार (भू.अ.) शेरगढ द्वारा बेचान के आधार पर स्वीकृत कर दिया। वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि जब अपीलाधीन भूमि के संबंध मे मामला उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के न्यायालय मे विचाराधीन था तो लिस पेन्डेन्सी के सिद्धान्त के आधार पर तहसीलदार को उक्त म्युटेशन स्वीकृत ही नही किया जाना चाहिये था इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन विधिविरूद्ध मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरनारायण के का0मुकाम बनाम मामचंद के का0मुकामात मे पारित निर्णय दिनांक 8–10–2012, माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के प्रकरण संख्या 3298/2012 अनवान इकबाल सिह बनाम महेन्द्र सिह मे पारित निर्णय दिनांक 23–11–2012 एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की डीबी. स्पे. रिट संख्या 309/2017 अनवान पांचाराम वगैरा बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु अजमेर एवं अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 20–4–2017 के दृष्टांत प्रस्तुत कर अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के रेकर्डेड खातेदार द्वारा अपने हिस्से की भूमि का अपीलांट के पक्ष मे पंजीबद्ध बेचाननामा निष्पादित किया जाने पर पंजीबद्ध बेचान के आधार पर अपीलांट के पक्ष मे जो नामा. स्वीकृत किया गया था, वह विधिसम्मत था क्योकि अपीलाधीन म्युटेशन पंजीबद्ध बेचान के आधार पर स्वीकृत किया गया है तथा बेचान की दिनांक को किसी भी न्यायालय से अपीलाधीन भूमि के संबंध मे कोई स्थगन आदेश प्रभावी नही था। उपस्थित राज. अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि चूँकि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पक्षकारो के बीच नियमित वाद विचाराधीन है तो नियमित वाद के निर्णय से ही अपीलाधीन भूमि मे हक अधिकारो का निर्धारण होना है। ऐसे मे रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर स्वीकृत नामा. सं. 314 को अधीनस्थ न्यायालय ने विधिविरूद्ध तथा काल्पनिक आधारो पर निरस्त किया है, जो विधि सम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय तथा बहस के दौरान रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया जाता है कि अति0जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर के द्वारा प्रथम अपील में जो निर्णय पारित किया गया है उससे यह न्यायालय सहमत है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 314 को स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही को संदिग्ध माना एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ में दावा विचाराधीन होने, राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जारी स्थगन आदेश के बावजूद वादग्रस्त भूमि का नामा0 स्वीकृत करने में जल्दबाजी की गई जिससे पक्षकारान को उच्चतर न्यायालय में अपील कार्यवाही करनी पडी। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई कारण/सबूत न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जो जल्दबाजी में की गई उक्त कार्यवाही को जायज ठहरा सके। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की ... है। निर्णय आज दिनांक